

उपायुक्त का कार्यालय (जिला विकास शाखा), धनबाद।
(खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट)

:: अत्यन्त अल्प कालीन निविदा सूचना ::

धनबाद जिले में सिलाई प्रशिक्षण –सह– उत्पादन केन्द्र की स्थापना हेतु सिलाई से संबंधित सामग्रियों / उपकरणों की आपूर्ति हेतु इच्छुक फर्म / प्रतिष्ठान से शर्तों के आधार पर निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विवरणी, NIC Dhanbad के Website WWW.dhanbad.nic.in पर देखा जा सकता है।

विवरणी निम्नवत है—

Sl.	Specification	Rate Per Unit
1	Operators Stools	Rate per unit
2	Butterfly system with light for 286 m/c (572 running ft.)	Rate per unit
3	Brother pr 1050 – 10 needles single head cylinder bed computerized embroidery m/c capable of doing embroidery on flat fabric as well as on readymade garments	Rate per unit
4	Cutting table	Rate per unit
5	Cutting machine (8" straight Knife)	Rate per unit
6	125 mm round knife	Rate per unit
7	Master scissor	Rate per unit
8	Cutting Scissor for operator	Rate per unit
9	Button attaching machine	Rate per unit

निविदा की शर्तें—

तकनीकी बिड—

1. जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण पत्र
2. तीन वर्षों का आयकर जमा प्रमाण पत्र
3. प्रतिष्ठान का निबंधन संबंधी पत्र

वित्तीय बिड

1. वित्तीय बिड अलग लिफाफा में जमा करना होगा जिसमें संबंधित सामग्री का अधिष्ठापन सहित एक मात्र दर निर्धारण करना होगा। एक से अधिक निर्धारित राशि मान्य नहीं होगी।

निविदा की अन्य शर्तें

1. निविदा दिनांक 08/01/18 को पूर्वाह्न 10:00 बजे तक प्राप्त किया जायेगा एवं निविदा उसी तिथि को पूर्वाह्न 11:00 बजे क्रय समिति की उपस्थिति में निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी। निविदादाता अपने साथ मशीन का नमूना साथ में लायेंगे।
2. निविदादाता द्वारा जमानत/अग्रधन राशि के रूप में 10,000.00 रुपये जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट, धनबाद के नाम से ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराना होगा।
3. आपूर्ति आदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर संबंधित सामग्री की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन संबंधित प्रखंड के कार्यस्थल पर करना अनिवार्य होगा। जिसके लिए अन्य कोई अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा।
4. निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता यदि समय सीमा के अन्दर सामग्री की आपूर्ति नहीं करते हैं अथवा आपूर्ति में शर्तों के मुताबीक गड़बड़ी करते हैं तो निविदा रद्द करते हुए जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
5. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी एवं बिना कारण बताये निविदाओं को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा।
6. क्रय समिति का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।
7. अग्रधन राशि पर किसी प्रकार का व्याज देय नहीं होगा।
8. अधुरा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

(3)
21/12/18

उप विकास आयुक्त-सह-
सदस्य सचिव,
जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट, धनबाद।